

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रलिस के लयि:

[राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण \(NALSA\)](#) , [राष्ट्रीय लोक अदालत](#) , [वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987](#) , [गांधीवादी सदिधांत](#) , [वैकल्पकि वविाद समाधान \(ADR\) प्रणाली](#) , [अर्द्ध-न्यायकि नकिय](#) , [स्थायी लोक अदालतें](#)

मेन्स के लयि:

वैकल्पकि वविाद समाधान (ADR) प्रणाली के रूप में लोक अदालत के कारय और संबधति चुनौतयिाँ ।

[स्रोत: द हदि](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में [राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण \(NALSA\)](#) द्वारा 27 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के तालुकों, ज़िलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी [राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन](#) कयिा गया ।

- इसका आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नालसा के कारयकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नेतृत्व में कयिा गया ।

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 2024 की मुख्य वशिषताएँ कयिा हैं ?

- नपिटाए गए मामलों की संख्या: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 2024 के दौरान 1.14 करोड़ से अधिक मामलों का नपिटारा कयिा गया । यह अदालतों में बढ़ते लंबति मामलों को कम करने की दशिा में एक बड़ा कदम है ।
- नपिटाए गए मामलों का वविरण: लोक अदालत में नपिटाए गए 1,14,56,529 मामलों में से 94,60,864 मुकदमे-पूर्व मामले थे तथा 19,95,665 मामले वभिन्न अदालतों में लंबति थे ।
- नपिटाए गए मामलों के प्रकार: इन मामलों में समझौता योग्य आपराधिक अपराध , यातायात चालान, राजस्व, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, चेक का वविचक (dishonor), शर्म वविाद, वैवाहकि वविाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधगिरहण, बौद्धकि संपदा अधिकार और अन्य सविलि मामले शामिल हैं ।
- नपिटान का ववतितीय मूल्य: इन मामलों में कुल नपिटान राशकि अनुमानति मूल्य 8,482.08 करोड़ रुप था ।
- सकारात्मक सार्वजनकि प्रतिक्रिया: इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भागीदारी देखी गई, जो लोक अदालतों में जनता के मज़बूत वशिवास को दर्शाता है । यह [वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987](#) और [राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण \(लोक अदालत\) वनियिम, 2009](#) में नरिधारति उद्देश्यों के अनुरूप है ।

लोक अदालत कयिा है?

- लोक अदालत या जन अदालत: न्यायालय में लंबति या मुकदमे-पूर्व वविादों को समझौते या सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से नपिटान हेतु एक वैकल्पकि मंच है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा है कलोक अदालत न्यायनरिणयन की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो आज भी प्रासंगकि है और [गांधीवादी सदिधांतों](#) पर आधारति है ।
 - यह [वैकल्पकि वविाद समाधान \(ADR\) प्रणाली](#) का एक हसिा है, जसिका उद्देश्य लंबति मामले के संदर्भ में भारतीय न्यायालयों को राहत प्रदान करना है ।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य नयिमति न्यायालयों में होने वाली लंबी और महँगी प्रक्रियाओं के बिना त्वरति न्याय प्रदान करना है ।
 - लोक अदालत में कसिी की हार या जीत नहीं होती है, इसमें वविाद समाधान हेतु एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है ।
- ऐतहासकि वकिस: स्वतंत्र भारत में पहला लोक अदालत शविरि 1982 में गुजरात में आयोजति कयिा गया था , जसिकी सफलता के बाद इसका

वसितार संपूर्ण देश में कथिा गया ।

- **कानूनी ढाँचा:** प्रारंभ में कानूनी प्राधिकार के बनिा एक **सर्वेच्छिक संस्था** के रूप में कार्य करते हुए, **वधिकि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** द्वारा लोक अदालतों को **वैधानिकि दर्जा** प्रदान कथिा गया ।
 - इस अधिनियम द्वारा संस्था को न्यायालय के आदेश के समान प्रभाव वाले अधिकार प्रदान कथिा गए ।
- **आयोजक एजेंसियाँ:** लोक अदालतों का आयोजन नालसा, राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरण, ज़िला वधिकि सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति, उच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति या तालुक वधिकि सेवा समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली अवधि और स्थानों पर कथिा जा सकता है ।
- **संरचना:** एक लोक अदालत में आमतौर पर एक न्यायिकि अधिकारी (अध्यक्ष), एक वकील और एक सामाजिकि कार्यकर्ता शामिल होते हैं ।
- **क्षेत्राधिकार:**
 - लोक अदालत को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले **लंबति मामलों** और **मुकदमे-पूर्व मामलों** सहति विवादों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।
 - यह वैवाहिकि विवाद , समझौता योग्य आपराधिकि अपराध, श्रम विवाद, बैंक वसूली, आवास और उपभोक्ता शकियातों जैसे विभिन्न मामलों का नपिटान करता है ।
 - लोक अदालत का **गैर-समझौता युक्त अपराधों** , जैसे गंभीर आपराधिकि मामलों पर क्षेत्राधिकार नहीं है , क्योंकि इन्हें समझौते के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता ।
- **लोक अदालत को मामले भेजना:** मामले लोक अदालत को भेजे जा सकते हैं, यदि
 - पक्षकार **लोक अदालत में विवाद नपिटान हेतु सहमत होते हैं** ।
 - इनमें से एक पक्षकार द्वारा मामले को **लोक अदालत में स्थानांतरति हेतु** न्यायालय में आवेदन कथिा जाता है ।
 - मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने **योग्य है** ।
 - **मुकदमा-पूर्व स्थानांतरण:** मुकदमा-पूर्व विवादों को किसी भी पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर स्थानांतरति कथिा जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विवादों का नपिटारा न्यायालय में पहुँचाने से पहले ही कर दथिा जाए ।
- **शक्तियाँ:** लोक अदालत को निम्नलिखति मामलों के संबंध में मुकदमे की सुनवाई करते समय **सविलि प्रक्रयाि संहति, 1908** के तहत **सविलि न्यायालय** में नहिति शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।
 - **किसी भी गवाह को बुलाना** और उसकी उपस्थति सुनिश्चित करना ।
 - **किसी भी दस्तावेज़ की खोज और जाँच** ।
 - शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ।
 - न्यायालयों या कार्यालयों से **सार्वजनिकि अभिलेखों या दस्तावेज़ों की मांग** करना ।
- **लोक अदालत की कार्यवाही:**
 - **स्व-नरिधारति प्रक्रयाि:** लोक अदालत विवादों के नपिटान हेतु **स्वयं की प्रक्रयाि नरिदषिट कर सकती है**, जिससे औपचारिकि न्यायालयों की तुलना में प्रक्रयाि सरल और अनौपचारिकि हो जाती है ।
 - **न्यायिकि कार्यवाही:** सभी लोक अदालतों की कार्यवाही को **भारतीय दंड संहति, 1860 (भारतीय न्याय संहति, 2023)** के तहत न्यायिकि कार्यवाही माना जाता है और **दंड प्रक्रयाि संहति, 1973 (भारतीय नागरिकि सुरक्षा संहति, 2023)** के तहत सविलि न्यायालय का दर्जा प्राप्त है ।
- **नरिणय की बाध्यकारति:**
 - **सविलि न्यायालय का नरिणय:** लोक अदालत द्वारा दथिा गए नरिणयों को सविलि न्यायालय के नरिणय के समान दर्जा प्राप्त होता है, यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं ।
 - **अपील न कथिा जाने योग्य:** नरिणयों के वरिद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, इसलथि लोक अदालतों में लंबी अपील संबंधी प्रक्रयािओं की आवश्यकता के बनिा विवादों का तीवर नपिटान कथिा जा सकता है ।



//

लोक अदालत के क्या लाभ हैं?

- **न्यायालय शुल्क**: लोक अदालत कोई न्यायालय शुल्क नहीं लेती है , बल्कविवाद का नपिटारा लोक अदालत में किया जाता है तो भुगतान की गई शुल्क वापस कर दी जाती है ।
- **प्रक्रिया का सरल होना**: प्रक्रियाएँ सरल हैं और साक्ष्य या सविलि प्रक्रिया के तकनीकी नियमों के प्रावधानों के अधीन नहीं हैं, जिसके कारण ही विवादों का शीघ्र नपिटारा संभव हो पाता है ।
- **प्रत्यक्ष संवाद**: विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश के साथ संवाद कर सकते हैं , जो कि न्यायालयों में संभव नहीं हो पाता है ।
- **अंतिम एवं बाध्यकारी नरिणय**: लोक अदालत द्वारा दिया गया नरिणय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है जिसे सविलि न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह अपील योग्य नहीं होता है , जिसे विवादों के अंतिम रूप से नपिटान में देरी नहीं होती ।
- **नमिन समय अवधि**: लोक अदालत शीघ्र समाधान प्रदान करती है, जो औपचारिक लंबी अदालती कार्यवाही से बचाती है ।
- **सामंजस्यपूर्ण नरिणय**: लोक अदालत सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है, जहाँ कोई भी पक्ष यह महसूस नहीं करता कि उसने हार मान ली है तथा विवादित पक्षों के बीच संबंध अक्सर बहाल हो जाते हैं ।

लोक अदालत के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भागीदारी की स्वैच्छिक प्रकृति:** जबकि लोक अदालतों का उद्देश्य सौहार्दपूर्ण विवाद का समाधान करना है, दोनों पक्षों को **स्वेच्छा से भाग लेने के लिये सहमत होना चाहिये**। यदि कोई भी पक्ष अनिच्छुक है, तो मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- **शीघ्र कार्यवाही पर न्यायिक सावधानी:** उच्च न्यायापालिका ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि लोक अदालत की कार्यवाही **सेकसि भी पक्ष के अधिकारों** और नष्पिपक्ष प्रतनिधितिव से समझौता नहीं होना चाहिये।
- **सीमति दायरा:** लोक अदालतों का अधिकार **सविलि और समझौता योग्य आपराधिक मामलों तक ही सीमति है**, जिससे कानूनी मुद्दों की व्यापक श्रेणी को संबोधित करने की उनकी क्षमता सीमति हो जाती है।
- **अपील का अभाव:** लोक अदालत का नरिणय अंतमि होता है जिसके नरिणय के बाद अपील नहीं की जा सकती है। यह वादकारी को, खासकर यदि वे परणाम से असंतुष्ट हैं, तो इस तरह की कार्रवाई करने से हतोत्साहित कर सकता है।
- **पक्षों की अनिच्छा:** लोग कभी-कभी **औपचारिक अदालतों पर ही अडे रहते हैं**, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अदालत के बाहर समझौता उनके हितों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएगा।

आगे की राह:

- **ADR के मूल सिद्धांतों को मज़बूत करना:** लोक अदालतों को **अर्द्ध-न्यायिक निकायों** के रूप में विकसित होने के बजाय **सुलह और नपिटान मंच के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करनी चाहिये**।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये न्यायाधीशों और कार्मिकों का उचित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे औपचारिक न्यायनरिणयन की अपेक्षा **सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान को प्राथमिकता दें**।
- **कमज़ोर वर्गों के लिये पहुँच:** एक सक्रिय आउटरीच रणनीति में वधिक सेवा प्राधिकरणों को शामिल किया जा सकता है, जो ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में जाकर **मुकदमा-पूर्व परामर्श प्रदान कर सकते हैं** तथा नागरिकों को यह मार्गदर्शन दे सकते हैं कि लोक अदालतें किस प्रकार उनके विवादों को सुलझाने में मदद कर सकती हैं।
- **तीव्रता बनाम नष्पिपक्षता के बारे में चिंताओं का समाधान:** लोक अदालतें एक **स्त्रीकृत प्रणाली अपना सकती हैं**, जहाँ गहन सुनवाई की आवश्यकता वाले विवादों को अधिक समय तक आवंटित किया जाता है, ताकि जल्दबाज़ी में लिये गए नरिणयों के जोखिम को रोका जा सके, जिसके अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।
- **स्थायी लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार का वसितार:** **स्थायी लोक अदालतों** (जो वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं तक सीमति हैं) के अधिकार क्षेत्र का वसितार करके **छोटे सविलि मामलों, उपभोक्ता संबंधी मामलों और पारिवारिक** जैसे मामलों की अधिक श्रेणियों को कवर किया जा सकता है, जिससे न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने तथा न्याय तक पहुँच में सुधार करने में मदद मिलेगी।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में लोक अदालतों की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????????:

प्रश्न: राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013))

1. इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर नशुलक एवं सक्षम वधिक सेवाएँ प्रदान करना है।
2. यह पूरे देश में कानूनी कार्यकर्माँ और योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिये दिशा-निर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2010)

- (a) लोक अदालतों के पास पूर्व-मुकदमेबाज़ी के स्तर पर मामलों को नपिटाने का अधिकार क्षेत्र है, न कि उन मामलों को जो किसी भी अदालत के समक्ष लंबित हैं।
- (b) लोक अदालतें उन मामलों का नपिटान कर सकती हैं जो दीवानी हैं और फौजदारी प्रकृतिके नहीं हैं।
- (c) प्रत्येक लोक अदालत में या तो केवल सेवारत या सेवानवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता है।
- (d) उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है।

उत्तर: (d)

प्रश्न: लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनियम सविलि न्यायालय का आदेश (डिक्री) मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती।
2. विवाह-संबंधी/पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मलित नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : A

??????:

प्रश्न1. राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? इससे भारत के विवाद समाधान तंत्र में किस सीमा तक सुधार होगा? चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/third-national-lok-adalat>

